GST Update on EOU

1981 की शुरुआत में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स (EOUs) स्कीम introduce की गई थी। EOU स्कीम में भी SEZ स्कीम के समान ही व्यवस्था होती है। EOU में माल बिना ड्यूटी बिना ड्यूटी भरे भारत से अथवा भारत के बाहर से भी मंगवा सकते हैं। इसका production करके आपको export करना होता है।

EOU Scheme का मुख्य उद्देश्य export को बढ़ाना, देश को विदेशी मुद्रा अर्जित करना, नवीनतम तकनीकों का transfer, direct foreign investment को प्रोत्साहित करना और अतिरिक्त रोजगार उत्पन्न करना है।

जो भी यूनिट अपनी सभी उत्पाद और सेवाओं को एक्सपोर्ट करने की undertaking लेती है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया में सेल के अलावा वो यूनिट EOU में स्थापित की जा सकती है। EOU यूनिट्स production, , रिपेयरिंग, reconditioning, रीमेकिंग, re-engineering आदि कर सकती है। परन्तु ट्रेडिंग यूनिट इस स्कीम में शामिल नहीं हो सकती हैं।

EOU यूनिट prohibited वस्तुओं को छोड़ कर सभी प्रकार की वस्तुओं का एक्सपोर्ट कर सकती हैं। EOU यूनिट prohibited goods को छोड़ कर सभी प्रकार के रॉ मटेरियल और कैपिटल गुड्स का बिना ड्यूटी का पेमेंट किये इम्पोर्ट कर सकती है और डोमेस्टिक मार्किट से भी खरीद सकती है। परन्तु इसमें शर्त यही है कि इसमें Actual User Condition लागु होती है यानि ये जो भी गुड्स इम्पोर्ट हुए है उनका उपयोग वह यूनिट अपने एक्सपोर्ट गुड्स के प्रोडक्शन के लिए ही करेगी। इस स्कीम के अंतर्गत सेकंड हैंड कैपिटल गुड्स भी बिना इम्पोर्ट ड्यूटी के पेमेंट किये लिया जा सकता हैं।

ईओयू को export के उद्देश्य से निश्चित समय अवधि के भीतर माल बनाने के लिए लाइसेंस दिया जाता है। एक्जिम पॉलिसी के अनुसार, बॉन्डिंग की अवधि शुरू में पांच साल के लिए होती है, जो Development Commissioner द्वारा एक और पांच साल तक बढ़ाई जाती है। हालांकि ईओयू यूनिट के अनुरोध पर, Commissioner / Chief Commissioner of Customs द्वारा समय अवधि को एक बार और पांच साल के लिए भी बढ़ाया जा सकता है।

Govt ने foreign Trade Policy 2015-20 में कई परिवर्तन किये है उन में EOU से सम्बंधित किये गए परिवर्तन निम्नलिखित है :-

1. जिस EOU की letter of permission या letter of intent वैलिडिटी 1/3/2020 से पहले खत्म हो रही है वह अपने आप ही 31/12/2020 तक valid होगी।

2. EOU Unit जो भी इम्पोर्ट विदेश से करेगी या तो वो Bonded Warehouse डोमेस्टिक मार्किट से परचेस करेगी या तो फिर international exhibition जो क़ि भारत में हुआ है वहां से गुड्स लेगी तो उस EOU Unit को Custom duty , IGST और Compensation cess का भुगतान नहीं करना होगा। और ये छूट EOU Unit को 31.03.2020 तक उपलब्ध थी। इसको बढ़ाकर 30 मार्च 2021 तक कर दिया गया है।
3. EOU जिनका एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन पीरियड 1 मार्च 2020 से लेकर 30 जून 2020 के बीच में खत्म हो रहा है उनको 30 सितंबर 2020 तक एक्सटेंशन मिल जाएगा ।
4. EOU units को quarterly QPR रिटर्न भरने होते हैं। मार्च 2020 और जून 2020 को खत्म होने वाले quarter के रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक पायल किए जा सकते हैं।

इस तरह से निकाल कोविड-19 के तहत हुए हुए lockdown को देखते हुए सभी करदाताओं की मदद कर रही है। इसीलिए उन्होंने सभी के रिटर्न की डेट आगे कर दी है तथा उन्हें कोई भी compliance जो इस समय में करनी थी उसकी अंतिम तिथि भी स्थगित कर दी गई है। सरकार के इस कदम का हम सभी लोग स्वागत करते हैं।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.